रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 347] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 8, 1974/श्रावण 17, 1896

No. 347] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 8, 1974/SRAVANA 17, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

ORDER

New Delhi, the 8th August 1974

S.O. 484(E).—In pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Drugs (Prices Control) Order, 1970, the Central Government hereby makes the following further amendments to the Order of the Government of India in the late Ministry of Petroleum, Chemicals, Mines and Metals (Department of Mines and Metals) No. S.O. 1873, dated the 18th May, 1970, namely:—

In the Table annexed to the said Order, in column (2)—

(a) against serial No. 3, for the letters, figures and word "Rs. 72.70 per Kg.", the letters figures and word "Rs. 90.70 per Kg." shall be substituted;

(b) against serial No. 4, for the letters, figures and word "Rs. 58.89 per Kg.", the letters figures and word "Rs. 102.00 per Kg." shall be substituted;

(c) against serial No. 6, for the letters, figures and word "Rs. 295.00 per Kg.", the letters figures and word "Rs. 343.00 per Kg.", shall be substituted;

(d) against serial No. 7, for the letters, figures and word "Rs. 455.31 per Kg.", the letters figures and word "Rs. 662.00 per Kg.", shall be substituted;

(e) against serial No. 11, for the letters, figures, words and brackets "Rs. 80.40 per Kg. (for production from basic stage) and Rs. 79.94 per Kg. (for others)", the letters, figures, words and brackets "Rs. 115.50 per Kg. (for production from basis stage) and Rs. 96.00 per Kg. (for production from imported intermediate-8-Hydroxy-quinoline)" shall be substituted;

(f) against serial No. 16, for the letters, figures and word "Rs. 46.18 per Kg.", the letters, figures and word "Rs. 53.29 per Kg.", shall be substituted;

(g) against serial No. 17, for the letters, figures and word "Rs. 56.09 per Kg.", the letters, figures and word "Rs. 64.09 per Kg." shall be substituted;

(h) against serial No. 18, for the letters, figures and word "Rs. 14,266.21 per Kg." the letters, figures and word Rs 17,100.00 per Kg." shall be substituted.

[No. A&I-3(8)/73/8(13)/74-Ch.I]

VINOD KUMAR, Jt. Secy.

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1974

का० आ० 484 (अ).—(मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के परा 4 के उप-पैरा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व पैट्रोलियम, रसायन, खान और धातु मंत्रालय (खान और धातु विभाग) के आदेश संख्या का० आ० 1873, तारीख 18 मई, 1970 में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश से उपाबद्ध सारणी में, स्तम्भ (2) में —

(क) क्रम संख्या 3 के सामने "72.70 रुपये प्रति किलो" अंकों और शब्दों के स्थान पर "90.70 रुपये प्रति किलो" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) क्रम संख्या 4 के सामने "58.89 रुपये प्रति किलो" अंकों और शब्दों के स्थान पर "102 रुपये प्रति किलो" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) क्रम संख्या 6 के सामने "295 रुपये प्रति किलो" अंकों और शब्दों के स्थान पर "343 रुपये प्रति किलो" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;—

(घ) क्रम संख्या 7 के सामने "455.31 रुपये प्रति किलो" अंकों और शब्दों के स्थान पर "662 रुपये प्रति किलो" अंक और शब्द रख जाएंगे ;

(ङ) क्रम संख्या 11 के सामने "80.40 रुपये प्रति किलो (आरम्भिक स्थिति से उत्पादन के लिए) तथा 75.94 रुपये प्रति किलो (अन्य के लिए)" अंकों, शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "115.50 रुपये प्रति किलो (आरम्भिक स्थिति

से उत्पादन के लिए) और 96 रुपये प्रति किलो (आयातित मध्यवर्ती–8–हाई ड्राक्सी-क्विनोलाईन से उत्पादन के लिए)" अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(च) क्रम संख्या 16 के सामने "46.18 रुपये प्रति किलो" अंकों और शब्दों के स्थान पर "53.29 रुपये प्रति किलो" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(छ) क्रम संख्या 17 के सामने "56.09 रुपये प्रति किलो" अंकों और शब्दों के स्थान पर "64.09 रुपये प्रति किलो" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ज) क्रम संख्या 18 के सामने "14,266.21 रुपये प्रति किलो" अंकों और शब्दों के स्थान पर "17,100 रुपये प्रति किलो" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० ए० ए०ड आई०-3(8)/73/8(13)/74 सी एच० I]

विनोद कुमार, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974